Annexure-1

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

No. 454/26 प्रशा० अधि०(सा०प्रशा० 2014-15 Dated 30-4-15

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **0.664 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction of Dharigaun to Amdhar Motor Road Quisu-Sumari Motor Road (4.00 Km) in Pauri Distirct** district falls with in jurisdiction of **Dharigaun**village (s) in **Srinagar** tehsils.

It is further certified that :

(a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.664 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure01 toannexure02.**

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

28.4.15

(ChandraShekhar Bhatt)

District Collector Garhwal

DM/Collector

Garhwal

Annexure-II

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Garhwal

No. 454/26-प्रशा० अधि० (न्या० प्रशा०) 2014-15 Dated 30-4-15

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is Certified that **0.664 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction of Dharigaun to Amdhar Motor Road Quisu-Sumari Motor Road (4.00 Km) in Pauri Distirct** falls within jurisdiction of **Dharigaun** village (s) in **Srinagar** tehsils.

(a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.664 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 01To annexure 02**

(b) The proposals for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular/local language) have been placed before each Concerned Gram Sabha of forest-dwellers who are eligible under the FRA.

(c) The each of Concerned Gram Sabha (s), has Certified that all formalities/ processes under the FRA have been Carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the propose and details of proposed diversion. A copy of Certificate issued by the Gram Sabha of **Dharigaun** villages is enclosed as annexure 01 to annexure 02

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when their was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e) The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their Consent to it.

(f) The rights of primitive drivel groups and Pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl: As above.

28.4.15

(ChandraShekhar Bhatt)

District Collector Garhwal

DM/Collector
Garhwal

It is further Certified that minutes of meeting of construction of Dharigaun to Amdhar motor road Quisu-Sumari Motor Road (4.00 km) regarding FRA is as following

Sl. No.		Remarks
(a)	The complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out fir the entire 0.664 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the fores rights committee (s), Sub Division Level Committee (s) are enclosed as annexure.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Deviersion of Forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been givenconsent to it.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection Certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and preagricultural Communities.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Member District Bord
Pauri Garhwal

District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal
जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

Divisional Forest OFFICER
Pauri Garhwal

28.1.15
District Collector Garhwal
DM/Collector
Garhwal

Executive Engineer
CD, PWD Srinagar
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditonal forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006

A meeting of the district level committee of Garhwal constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Chandra Shekher Bhatt I.A.S. deputy commissioner, Garhwal on ---28-01-2015------- at ---11:30------ A.M. at Pauri in which the application claiming rights in area measuring 0.664 Hect for the construction of Dharigaun to Amdhar motor road Quisu-Sumari Motor Road of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of Pauri Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommends the above case for diversion of Land for the said purpose.

Place---PAURI---

Date---28-01-2015---

28.1.15
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
DM/Collector
Garhwal

दिनांक 28.1.15 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम–2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :–

1.	सर्व श्री चन्द्रशेखर भट्ट	जिलाधिकारी, गढ़वाल	अध्यक्ष।
2.	श्री एल0एस0 रावत,	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी	सदस्य।
3.	श्री रतन सिंह रावल,	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	सदस्य।
4.	श्री प्रकाश बुटोला	जिला पंचायत सदस्य, खिर्सू	सदस्य।

बताया गया है कि **जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरिगांव होते हुये अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण** हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये है। उक्त मार्ग हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये है। मार्ग का विवरण निम्नवत है :–

1– **जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरिगांव होते हुये अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण** :–इस मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व निर्मित क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग के धरीगांव नामक स्थान से आरम्भ होता है एवं ग्राम तरूली की सीमा में समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 4.00 कि0मी0 है। इस मार्ग में 738.00 मी0 सिविल भूमि प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण से प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त मार्ग के निर्माण से ग्राम धरिगांव, तरूली, बछेली की कुल 349 जनसंख्या लाभान्वित होगी। इन गांवों को जोड़ने हेतु कोई अन्य वैकल्पि मार्ग नहीं है, और ना ही प्रस्तावित है।

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त खिर्सू ब्लाक में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में **क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरिगांव होते हुये अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण** हेतु प्रस्तावित आरक्षित भूमि **0.664 है0** लो0नि0वि0 को उपखण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

28.4.15
(चन्द्रशेखर भट्ट)
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी गढ़वाल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर

पत्रांक 1016 /28सी0

दिनांक- 01/05/2015

1. प्रतिलिपि जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर गढ़वाल

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू–सुमाडी मोटर मार्ग से धरिगांव होते हुये अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम धरिगांव

तहसील श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से **धरिगांव होते हुये अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण** परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.664 हे0 सिविल सोयम भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.664 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....धरिगांव.......... द्वारा दि0 11.11.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....धरिगांव..... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

सदस्य
क्षेत्र पंचायत सदस्य (17)
ह0/– वि0 ख0 किर्तिनगर
ग्राम सचिव पौड़ी गढ़वाल

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत .... गढ़वाल

ह0/–
ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत
स्थान ....
दिनांक ....

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 11.11.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धरिगांव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	भरत सिंह	
	सत्यप्रसाद नौटियाल	[signature]
	सुभाष चन्द्र नौटियाल	[signature]
	दीपक नौटियाल	[signature]
	बद्री प्रसाद	[signature]
	सुनील कुमार नौटियाल	[signature]
	अनसोया प्रसाद नौटियाल	[signature]
	देवी प्रसाद नौटियाल	[signature]
	मोहन लाल नौटियाल	[signature]
	शान्ति प्रसाद नौटियाल	[signature]
	गोविन्द प्रसाद नौटियाल	[signature]
	चन्द्रकान्त नौटियाल	[signature]
	किशोरीलाल नौटियाल	[signature]
	ललिता प्रसाद नौटियाल	ललिता प्रसाद
	बासवानन्द नौटियाल	[signature]
	भगवती प्रसाद	[signature]
	[signature]	[signature]
	उमेश चन्द्र नौटियाल	[signature]

[signature]

ग्रा०पं०वि० अधिकारी

ग्राम पंचायत डिवालगाँव

वि०ख० ...डिवाई... गढ़वाल

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू–सुमाडी मोटर मार्ग से धरिगांव होते हुये अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, श्रीनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी

उपखण्ड **उपवनप्रभाग पौड़ी** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद पौड़ी गढ़वाल** में **क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरिगांव होते हुये अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण** (**शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, 3. **0.664 हे0** सिविल एव सोयम वन भूमि **शून्य हे0** वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.664 हे0** वन भूमि) का लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील श्रीनगर) की **दि0 11.11.2014** को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री रज्जा अग्रवाल	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री एस0 के0 टम्टा	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	श्री	बी0डी0सी0 क्षेत्र / ग्रा0प0वि0अ0	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरिगांव होते हुये अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण** परियोजना हेतु **शून्य हे0** आरक्षित वन भूमि **0.664 हे0 सिविल भूमि** का लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **पौड़ी** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वार अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में ल्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरिगांव होते हुये अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.664 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय [illegible] समिति
तहसील– श्रीनगर
जनपद– पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– श्रीनगर
जनपद– पौड़ी गढ़वाल

EE CD PWD

सदस्य
क्षेत्र पंचायत सरणा (17)
वि0 ख0 खिर्सू
पौड़ी गढ़वाल

प्रधान ग्राम पंचायत
स्थान ......
दिनांक ......
वि0 ख0 खिर्सू, पौड़ी गढ़वाल

ग्रा0पं0वि0 अधिकारी
ग्राम पंचायत...
वि0ख0...गढ़वाल

एम0के0 ... (प्र0वि0अ0सह...
विकास खण्ड खिर्सू